ए.

भारत के सलाहकार कार्यालय, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

बनाम

भावेश पाबरी

(2013 की सिविल अपील No.11311)

बी.

फरवरी 28,2019

[रंजन गोगोई**,** सी**.** मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.15-J, क्ल. (ए), (बी) और (सी)-क्या एस के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तें हैं।15-जे जुर्माने की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के विवेकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण हैं या उक्त शर्तें केवल उदाहरणात्मक हैं-आयोजितःएस के खंड (ए), (बी) और (सी) के प्रावधान।15-जे प्रकृति में उदाहरणात्मक हैं और जब भी ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए-लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एस के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित परिस्थितियों से परे कोई अन्य परिस्थिति (ओं) नहीं हो सकती है।15-जे कि न्यायनिर्णायक अधिकारी को लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर निर्णय लेते समय विचार करने से कानून में वर्जित किया गया है-एक संकीर्ण दृष्टिकोण एस के प्रावधानों के साथ सीधे संघर्ष में होगा।15-I (2) जो न्यायनिर्णायक अधिकारी में अधिकारिता निहित करता है, जिसे जांच पूरी होने पर ऐसा जुर्माना लगाने का अधिकार है जो वह उन धाराओं में से किसी के प्रावधानों के अनुसार उचित समझता है।"– उपरोक्त के अलावा, एस के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित परिस्थितियाँ।15-जे की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है और उदाहरण के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम के कुछ प्रावधानों द्वारा विचार किए गए उल्लंघन के मामले में कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है।15-ए, 15-बी या 15-सी-इसलिए, एस के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तों को समझना।15-जे का संपूर्ण होना और किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं करना या न्यायनिर्णायक अधिकारी को कोई विवेकाधिकार सौंपना वस्तुतः यह स्वीकार करना/स्वीकार करना होगा कि दंड से जुड़े निर्णयों में यू/एस।15-ए, 15-बी और 15-सी,s.15-J का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा-इस तरह के परिणाम विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं हो

सकते थे-खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तें।15-जे पूर्ण नहीं हैं और किसी मामले के दिए गए तथ्यों में, एस के खंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा गणना की गई परिस्थितियों से परे परिस्थितियाँ हो सकती हैं।15-जे, जिस पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दंड की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान दिया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

898

899

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश बाबरी ए.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.15-J, Cl. (a), (b) & (c) और ss।15-ए से 15-एचए-क्या एस के खंड (ए) से (सी) में निर्धारित शर्तें हैं।15-जे (जो जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय "न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों" की गणना करता है) अनिवार्य शर्तें हैं जिन्हें एस. एस. में पढ़ा जाना चाहिए।15-ए से 15-एचए (दंड के प्रावधान) इस अर्थ में कि जब तक खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा एस. एस. के मूल प्रावधानों के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।15-ए से 15-एचए-आयोजितःयह तर्क बहुत दूर का है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता -<आई. डी. 1.....15-ए से एस।15-हा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.15-J, Cl. (c)-डिफ़ॉल्ट के तहत-प्रकृति-निरंतर या दोहराव-आयोजितःएस का खंड (सी)।15-जे डिफ़ॉल्ट की दोहराए जाने वाली प्रकृति को संदर्भित करता है न कि एक निरंतर डिफ़ॉल्ट-जैसा कि इसमें उपयोग किया गया शब्द "दोहराए जाने वाला" एक आवर्ती या क्रमिक डिफ़ॉल्ट को संदर्भित करेगा-हालाँकि, इस उक्ति का मतलब यह नहीं है कि निरंतर डिफ़ॉल्ट का तथ्य खंड (ए) से (सी) के रूप में एक प्रासंगिक कारक नहीं है।15-अधिनियम के जे केवल उदाहरणात्मक हैं और केवल वे आधार/कारक नहीं हैं जिन्हें दंड की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है-शब्द और वाक्यांश-"दोहराए जाने वाले"।

बी.

सी.

डी.

ई.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.15-J, Cl. (a), (b) & (c) और ss।15-ए से 15-एचए-क्या एस द्वारा निहित शक्ति और विवेक।15-जे जुर्माने की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए, एस में निहित दंड प्रावधानों द्वारा ग्रहण किया जाता है।15-ए से एस।15-एचए-आयोजितःएसएस।15-ए (ए) से 15-एचए को एस के साथ पढ़ना होगा।15-जे किसी भी तरह से असंगति या प्रतिकूलता से बचने के लिए-संघर्ष और आमने-सामने संघर्ष से बचने और उक्त प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है-एस को स्पष्टीकरण।15-2017 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ा गया जे ने स्पष्ट किया है और न्यायनिर्णायक अधिकारी को यू/एस के विवेकाधिकार में निहित किया है।15-यू/एस. एस. में चूक का निर्णय लेते समय लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर जे।15-ए से 15-एचए-एस के लिए स्पष्टीकरण।15-जे, जिसे मेसर्स रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में घोषणा के परिणामस्वरूप उत्पन्न संदेहों को दूर करने के लिए 2017 में पेश/जोड़ा गया था, यह भी बताता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी

एफ.

जी.

एच.

यह हमेशा माना जाएगा कि उसने प्रावधान का प्रयोग किया है और लागू किया है-इसलिए, एस के प्रावधान।15-जे को कभी ग्रहण नहीं किया गया था और इसके संदर्भ में डिफ़ॉल्ट यू/एस पर लागू होना जारी रखा था।15-ए (ए)।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 - s.15-J और s.15 ए (ई)-एस की प्रयोज्यता।15 जे, एस के संदर्भ में।15 ए (ए) जैसा कि यह 29 अक्टूबर, 2002 से 7 सितंबर, 2014 के बीच था-अभिव्यक्ति "जो भी कम हो" उसमें-अर्थ और प्रभाव-एस के पीछे विधायी इरादे।15 ए (ए) 2014 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा संशोधित और 21017 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा स्पष्टीकरण जोड़ा गया।15 जे ने समझाया-आयोजितःमेसर्स रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में गलती से कहा गया था कि15-जे, एस के बाद लागू नहीं होगा।15-ए (ए) में 29 अक्टूबर, 2002 से 7 सितंबर, 2014 तक के प्रभाव के साथ संशोधन किया गया था।15-एस. ई. बी. आई. अधिनियम के ए (ए) में फिर से संशोधन किया गया-एस.15-2017 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ा गया जे, एस में "जो भी कम हो" अभिव्यक्ति के उपयोग के बावजूद, विधायी इरादे को प्रतिबिंबित करेगा। 15-ए (ए) जैसा कि 29 अक्टूबर 2002 से 7 सितंबर 2014 की अवधि के दौरान मौजूद

था, न्यायनिर्णायक अधिकारी यू/एस के विवेक को कम करने के लिए नहीं था।15 चूक पर निर्णय लेते समय लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर जे-विधायी इरादा भी एस के रूप में स्पष्ट है। 15 ए (ए) को 2014 के संशोधन अधिनियम No.27 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि यह कहा जा सके कि जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए 1 लाख रुपये तक बढ़ सकता है, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है और अधिकतम जुर्माना रु। 1 करोड़-2014 में यह संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था और इसलिए, स्पष्टीकरणात्मक और संदेह को दूर करने के लिए था।15-जे को 2017 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ा गया था-आम तौर पर "जो भी कम हो" अभिव्यक्ति न्यूनतम अनिवार्य दंड निर्धारित करके विवेक के अभाव को दर्शाती है, लेकिन एस के संदर्भ में।15 ए (ए) जैसा कि यह 29 अक्टूबर, 2002 से 7 सितंबर, 2014 के बीच था, एस के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा।15-जे ने 2017 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ा, विधायी इरादा प्रति दिन 1 लाख रुपये का न्यूनतम अनिवार्य जुर्माना निर्धारित करना नहीं था, जिसके दौरान चूक और विफलता जारी रही थी -s.15-A (ए) जैसा कि 25 अक्टूबर, 2002 और 7 सितंबर, 2014 के बीच था, इसे 2014 के संशोधन अधिनियम 27 के अनुरूप पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि न्यायनिर्णायक अधिकारी को चूक की अवधि को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपये का न्यूनतम जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार दिया गया है, जो अधिकतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने के अधीन है।15-जे.

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

901

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश बाबरी ए.

ए.

आपराधिक कानून-अपराध-"निरंतर अपराध" और "अपराध को दोहराना"-के बीच अंतर-आयोजितः निरंतर अपराध वह है जो निरंतर प्रकृति का है जो एक बार और हमेशा के लिए किए गए अपराध से अलग है-निरंतर अपराध के मामले में, दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक कि नियम या इसकी आवश्यकता का पालन या अनुपालन नहीं किया जाता है-हर अवसर पर जब अवज्ञा या गैर-अनुपालन होता है और फिर से होता है, तो एक अपराध किया जाता है-

निरंतर अपराध हर बार या अवसर पर होने वाला एक नया अपराध होता है-दूसरी ओर, एक बार-बार या लगातार गलत, वे हैं जो समय-समय पर होते हैं और प्रत्येक गलत के साथ कार्रवाई के एक विशिष्ट और अलग कारण को जन्म देते हैं।

बी.

सी.

विधानों की व्याख्या-सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत-आयोजित करने का आह्वानःएक धारा के प्रावधान का उपयोग दूसरे को निरस्त करने और बाधित करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों प्रावधानों का मिलान करना असंभव न हो।

विधानों की व्याख्या-प्रावधान का स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरणात्मक स्पष्टीकरण-एस को स्पष्टीकरण। 15-मेसर्स रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में घोषणा के परिणामस्वरूप उत्पन्न संदेहों को दूर करने के लिए 2017 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा जे को पेश/जोड़ा गया था।15-2017 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ा गया जे ने स्पष्ट किया है और न्यायनिर्णायक अधिकारी को यू/एस के विवेकाधिकार में निहित किया है।15-यू/एस. एस. में चूक का निर्णय लेते समय लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर जे।15-ए से 15-एचए-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.15-J, स्पष्टीकरण।

डी.

ई.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अपने अध्यक्ष बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2016) 12 एस. सी. सी. के माध्यम से

125 – खारिज कर दिया।

एफ.

बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी और अन्य। (1972) 2 एससीसी

890 :[1973] 3 एस. सी. आर. 1004 और भारत संघ और ए. एन. आर. बनामतारसेम सिंह (2008) 8 एस. सी. सी. 648:[2008] 12 एस. सी. आर. 104-निर्भर।

जी.

सिद्धार्थ चतुर्वेदी बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2016) 12 एस. सी. सी. 119; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम राखी ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड (2018) 13 एस. सी. सी. 753; और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम।

किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एससीसी 368:[2016] 1 एस. सी. आर. 1118-संदर्भित।

एच.

902 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 18 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

(2016) 12 एससीसी **119**

संदर्भित किया गया है

पैरा **2**

(2016) 12 एससीसी **125**

खारिज कर दिया गया

पैरा **2**

[1973] 3 एससीआर **1004**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **13**

बी.

[2008] 12 एससीआर **104**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **13**

(2018) 13 एस**.** सी**.** सी**. 753**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[2016] 1 एससीआर **1118**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2013 की सिविल अपील सं. 11311।

सी.

2012 के अपील सं. 71 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के दिनांकित 10.09.2013 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

डी.

2014 की सी. ए. संख्या 1824,2014 की सी. ए. संख्या 9798,2014 की सी. ए. संख्या 9797,2014 की सी. ए. संख्या 9799,2015 की सी. ए. संख्या 14728,2015 की सी. ए. संख्या 14730,2015 की सी. ए. संख्या 14729,2017 की सी. ए. संख्या 33,2017 की सी. ए. संख्या 1009,2017 की सी. ए. संख्या 2641,2018 की सी. ए. संख्या 6160 और 2018 की सी. ए. संख्या 9563।

ई.

श्री सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता साहिल खन्ना, जे. डी. बरुआ, प्रवीण कुमार, हरीश पांडे, अभिषेक आनंद, एम. पी. देवनाथ, सुश्री रुचि कोहली, प्रदीप अग्रवाल, लाल प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, पी. एन. शर्मा, अतनु मुखर्जी, सारद कुमार सिंघानिया, पूर्विश जितेंद्र मलकन, प्रकाश शाह, सुश्री धरिता पूर्विश मलकन, सुश्री खुशबू वी. मलकन, आलोक कुमार, राघव आर. सुश्री दीपा गोरसिया, तन्मया अग्रवाल, निपुण गोयल, सुदर्श मेनन, सुश्री निमिषा मेनन, सूर्योदय प्रकाश तिवारी, संजय कुमार दुबे, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एफ.

चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, पुरुषोत्तम कुमार झा, सुश्री रेम्या राज, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, हरीश पांडे, प्रदीप अग्रवाल, लाल प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, पी. एन. शर्मा, सुश्री रुचि कोहली, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.

903

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना**,** जे।

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. एक तरह से परस्पर जुड़े दो प्राथमिक प्रश्नों को 14 मार्च, 2016 के रेफरल निर्णय और आदेश द्वारा संदर्भित किया गया है।

बी.

सिद्धार्थ चतुर्वेदी बनाम प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारत का **1.**प्रतिभूतियों में इस न्यायालय की एक संख्यात्मक छोटी पीठ द्वारा उक्त दो प्रश्नों पर व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता और

भारतीय विनिमय बोर्ड अपने अध्यक्ष बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज के माध्यम से

सीमित **2** संयोग से उत्पन्न होगा।निर्दिष्ट प्रश्नों को निम्नलिखित रूप में गिना और संक्षेपित किया जा सकता हैः

सी.

(i) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद "एस. ई. बी. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तें जुर्माने की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के विवेकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण हैं या उक्त शर्तें केवल उदाहरणात्मक हैं?

डी.

((ii) क्या पहले प्रश्न का उत्तर देने के तरीके की परवाह किए बिना, जुर्माने की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे. द्वारा निहित शक्ति और विवेकाधिकार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए से धारा 15-एच. ए. में निहित दंड प्रावधानों द्वारा ग्रहण किया जाता है?

ई.

3. एस. ई. बी. आई. अधिनियम, इसके अधिनियमन के उद्देश्य के रूप में इंगित करेगा,

प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के लिए और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियम बनाया गया था।"

एफ.

4. वर्तमान संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, हम एस. ई. बी. आई. अधिनियम के अध्याय VI-ए में निहित प्रावधानों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धारा 15-ए से 15-एच. ए. दंड के प्रावधान हैं जबकि धारा 15-I निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है और धारा 15-जे.

" न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक

जी.

जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय।5. धारा 15-ए, उदाहरण के लिए, 2002 के अधिनियम No.59 द्वारा इसके संशोधन से पहले मौजूद, 2002 के अधिनियम No.59 द्वारा संशोधित और उसके बाद

1 (2016) 12 एससीसी 119 2 (2016) 12 एससीसी 125 ए

एच.

2014 के अधिनियम No.27 और धारा 15-J द्वारा संशोधित इस स्तर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

2002 के संशोधन अधिनियम No.59 से पहले की धारा 15A

“15 ए. जानकारी, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना।

- यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमों के तहत आवश्यक है, -

बी.

(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, वह इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी दाखिल करने या कोई जानकारी, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी दाखिल करने या प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह हर दिन के लिए पांच हजार रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है;

सी.

डी.

(ग) लेखा बहियों या अभिलेखों को बनाए रखने के लिए, वह इसे बनाए रखने में विफल रहता है, वह हर उस दिन के लिए दस हजार रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।"

2002 के अधिनियम No.59 द्वारा संशोधित धारा 15A

"15 ए. जानकारी, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना।

ई.

- यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमों के तहत आवश्यक है, -

(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, वह उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो;

एफ.

(ख) विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी दाखिल करने या कोई जानकारी, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी दाखिल करने या प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

जी.

(ग) लेखा पुस्तकों या अभिलेखों को बनाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने में विफल रहने पर, वह ए के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

एच.

ए.

प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो।"

2014 के संशोधन अधिनियम No.27 द्वारा संशोधित धारा 15A

"15-ए. जानकारी, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना।

- यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमों के तहत आवश्यक है, -

बी.

(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह एक लाख रुपये से कम के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन जो प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन बनी रहती है।

सी.

(ख) विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी दाखिल करने या कोई जानकारी, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी दाखिल करने या प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह एक लाख रुपये से कम के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन जो प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन बनी रहती है।

डी.

(ग) लेखा बहियों या अभिलेखों को बनाए रखने में विफल रहने पर, वह एक लाख रुपये से कम के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन जो प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन बनी रहती है।

ई.

धारा 15 जे

“15-जे. निर्णय अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक।- धारा 15-I के तहत जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्:-

एफ.

(क) चूक के परिणामस्वरूप किए गए असमान लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां भी मात्रात्मक हो;

जी.

(ख) चूक के परिणामस्वरूप किसी निवेशक या निवेशकों के समूह को हुए नुकसान की राशि;

(ग) पूर्वनिर्धारित की दोहराव वाली प्रकृति।

एच.

स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 15-ए से 15-ई, धारा 15-एफ, 15-जी, 15-एच और 15-एचए के खंड (बी) और (सी) के तहत दंड की मात्रा का निर्णय करने के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्ति का प्रयोग हमेशा इस धारा के प्रावधानों के तहत किया गया माना जाएगा।"

[2017 के अधिनियम संख्या **7** द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण**]**

बी.

6. जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यदि जुर्माने के प्रावधानों को किसी भी अपवाद या विवेकाधिकार को स्वीकार नहीं करने के रूप में समझा जाना है और चूक/विफलता के मामले में एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए से धारा 15-एच. ए. में निर्धारित जुर्माना अनिवार्य रूप से लगाया जाना है, तो एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे समाप्त हो जाएगी और ग्रहण हो जाएगी।इसलिए, प्रश्न का उल्लेख किया गया।धारा 15-ए (ए) से 15-एचए को धारा 15-जे के साथ इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचा जा सके।हमें टकराव और आमने-सामने की लड़ाई से बचना चाहिए और उक्त प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझना चाहिए।एक धारा के प्रावधान का उपयोग दूसरे को निरस्त करने और बाधित करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों प्रावधानों का मिलान करना असंभव न हो।ऊपर उद्धृत 2017 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ी गई एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे. के स्पष्टीकरण ने धारा 15-ए से 15-एच. ए. के तहत चूक का निर्णय लेते समय लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा पर धारा 15-जे. के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी को एक विवेकाधिकार स्पष्ट और निहित किया है। धारा 15-जे का स्पष्टीकरण 2017 में पेश किया गया था/जोड़ा गया था ताकि इसमें घोषणा के परिणामस्वरूप उत्पन्न संदेहों को दूर किया जा सके।

सी.

डी.

ई.

मेसर्स रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामला (ऊपर)।हम सहमत हैं

14 मार्च, 2016 के संदर्भ आदेश में दिया गया तर्क कि मेसर्स रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गलत और गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया था कि धारा 15-जे 29 अक्टूबर, 2002 से 7 सितंबर, 2014 तक धारा 15-ए (ए) में संशोधन के बाद लागू नहीं होगी, जब एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए (ए) में फिर से संशोधन किया गया था।यह किसी भी संदेह से परे है कि दूसरे निर्दिष्ट प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर अधिनियम संख्या 7 से 2017 तक धारा

15-जे के स्पष्टीकरण को अधिनियमित करने के माध्यम से स्पष्टीकरण द्वारा दिया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी ने हमेशा प्रावधान का प्रयोग और लागू किया है।इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करना उचित समझते हैं कि धारा 15-जे के प्रावधान कभी भी ग्रहण नहीं किए गए थे और एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए (ए) के तहत चूक करने वालों पर उनके संदर्भों में लागू होते रहे थे।

एफ.

जी.

7. सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अन्य में संदर्भ आदेश (ऊपर)

उक्त पहलू पर यह पाया गया है कि धारा 15-ए (ए) छोटी राशि के तकनीकी चूक पर भी लागू हो सकती है और इसलिए, ए

एच.

907

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

प्रति दिन 1 लाख रुपये का न्यूनतम अनिवार्य जुर्माना, अधिकतम 1 करोड़ रुपये के अधीन, धारा को पूरी तरह से असमान और मनमाना बना देगा ताकि मौलिक अधिकारों पर आक्रमण और उल्लंघन किया जा सके।स्पष्टीकरण को शामिल करने से यह पता चलता है कि 29 अक्टूबर 2002 से 7 सितंबर 2014 तक की अवधि के दौरान धारा 15-ए (ए) में "जो भी कम हो" अभिव्यक्ति के उपयोग के बावजूद, विधायी इरादे से न्यायनिर्णायक अधिकारी के विवेकाधिकार को कम करने के लिए न्यूनतम एक लाख रुपये से कम का अनिवार्य जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि चूक तकनीकी थी, निवेशक (ओं) को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई असमान लाभ या अनुचित लाभ नहीं हुआ।विधायी इरादा भी स्पष्ट है क्योंकि धारा 15 ए (ए) को 2014 के संशोधन अधिनियम No.27 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि यह कहा जा सके कि जुर्माना एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है। प्रत्येक दिन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है। 1 करोड़।2014 में यह संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था और इसलिए, 2017 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा धारा 15-जे में स्पष्टीकरण और संदेह को दूर करने का स्पष्टीकरण जोड़ा गया था।आम तौर पर "जो भी कम हो" अभिव्यक्ति न्यूनतम अनिवार्य जुर्माना निर्धारित करके विवेकाधिकार के अभाव को दर्शाती है, लेकिन धारा 15 ए (ए) के संदर्भ में क्योंकि यह 29 अक्टूबर, 2002 से 7 सितंबर, 2014 के बीच थी, जिसे 2017 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ी गई धारा 15-जे के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, हम मानते हैं कि विधायी इरादा प्रति दिन 1 लाख रुपये का न्यूनतम अनिवार्य जुर्माना निर्धारित करना नहीं था, जिसके दौरान चूक और विफलता जारी रही थी।हम धारा 15-ए (ए)

को पढ़ना और व्याख्या करना पसंद करेंगे क्योंकि यह 2014 के संशोधन अधिनियम 27 के अनुरूप 25 अक्टूबर, 2002 और 7 सितंबर, 2014 के बीच था, जिसमें न्यायनिर्णायक अधिकारी को चूक की अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

8. इसके लिए हमें संदर्भित पहले प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता होगी।प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, (दोनों पक्षों ने वास्तव में धारा 15-जे की व्यापक और अधिक विस्तृत व्याख्या के लिए प्रचार किया है), हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) के प्रावधान उदाहरणात्मक प्रकृति के हैं और जब भी ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।लेकिन इसका यह कहना नहीं है कि धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित परिस्थितियों से परे कोई अन्य परिस्थिति (ओं) नहीं हो सकती है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी को लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर निर्णय लेते समय विचार करने से कानून में वर्जित किया गया है।

जी.

एच.

9. एक संकीर्ण दृष्टिकोण एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-आई. (2) के प्रावधानों के साथ सीधे टकराव में होगा जो न्यायनिर्णायक अधिकारी में अधिकार क्षेत्र निहित करता है, जिसे जांच पूरी होने पर अधिकार दिया जाता है -

"ऐसा दंड अधिरोपित करें जो वह उन धाराओं में से किसी के प्रावधानों के अनुसार उचित समझता है।"

10. उपरोक्त के अलावा, एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित परिस्थितियों की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है और एस. ई. बी.

आई. अधिनियम के कुछ प्रावधानों, उदाहरण के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए, 15-बी या 15-सी द्वारा किए गए उल्लंघन के मामले में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। जानकारी, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता।; ग्राहकों के साथ समझौता करने में विफलता; और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में विफलता धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित परिस्थितियों को जन्म नहीं दे सकती है।

बी.

सी.

11. इसलिए, धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तों को व्यापक समझने और कोई अपवाद स्वीकार नहीं करने या न्यायनिर्णायक अधिकारी को कोई विवेकाधिकार सौंपने के लिए वस्तुतः यह स्वीकार करना/स्वीकार करना होगा कि धारा 15-ए, 15-बी और 15-सी के तहत दंड से जुड़े निर्णयों में, धारा 15-जे का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।इस तरह के परिणाम का इरादा विधायिका द्वारा नहीं किया जा सकता था।इसलिए हम यह मानते हैं और मानते हैं कि धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तें संपूर्ण नहीं हैं और किसी मामले के दिए गए तथ्यों में, धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा गणना की गई परिस्थितियों से परे परिस्थितियां हो सकती हैं जिन पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दंड की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान दिया जा सकता है।12. इस स्तर पर, हमें कुछ निजी अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए इस तर्क पर भी विचार करना चाहिए और उसे अस्वीकार करना चाहिए कि धारा 15-जे के खंड (ए) से (सी) में निर्धारित शर्तें अनिवार्य शर्तें हैं जिन्हें धारा 15-ए से 15-एचए में इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि जब तक खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए से 15-एच. ए. के मूल प्रावधानों के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। यह तर्क बहुत दूर का है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे चित्रण (ओं) के माध्यम से उन कारकों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें न्यायनिर्णायक अधिकारी को लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए।जुर्माना लगाना एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए से धारा 15-एच. ए. में निहित मूल प्रावधानों की संतुष्टि पर निर्भर करता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

13. निरंतर अपराध और दोहराए जाने वाले अपराध के बीच अंतर होता है।निरंतर अपराध वह है जो निरंतर प्रकृति का होता है जो एक बार और हमेशा के लिए किए गए अपराध से अलग होता है।"निरंतर अपराध" शब्द को देकर समझाया और स्पष्ट किया गया था

बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी और अन्य में कई चित्र। 3.

अपराध जारी रहने के मामले में, दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक कि नियम या इसकी आवश्यकता का पालन या पालन नहीं किया जाता है।हर अवसर पर जब अवज्ञा या गैर-अनुपालन होता है और फिर से होता है, तो एक अपराध किया जाता है।अपराध को जारी रखना हर बार या अवसर पर होने वाला एक नया अपराध है।भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम तारसेम सिंह 4, निरंतर अपराध या सेवा कानून में चूक को एक एकल गलत कार्य के रूप में समझाया गया था जो निरंतर चोट का कारण बनता है।दूसरी ओर, एक बार-बार होने वाली या लगातार होने वाली गलती वे होती हैं जो समय-समय पर होती हैं और प्रत्येक गलती कार्रवाई के एक अलग और अलग कारण को जन्म देती है।हमने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे के खंड (सी) को ध्यान में रखते हुए इस कानूनी स्थिति का संदर्भ दिया है जो चूक की दोहराए जाने वाली प्रकृति को संदर्भित करता है न कि निरंतर चूक को।"दोहराए जाने वाला" शब्द जैसा कि इसमें उपयोग किया गया है, एक आवर्ती या क्रमिक डिफ़ॉल्ट को संदर्भित करेगा। जुर्माने की मात्रा तय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।हालाँकि, इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि निरंतर चूक का तथ्य एक प्रासंगिक कारक नहीं है, क्योंकि हमने माना है कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे में खंड (ए) से (सी) केवल उदाहरणात्मक हैं और केवल आधार/कारक नहीं हैं जिन्हें दंड की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

14. अब हम प्रत्येक मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सुविचारित विचार में, इस तरह की कवायद विचाराधीन अपीलों को अंततः समाप्त करने/निर्णय लेने के लिए उचित होगी।

एफ.

2014 का सी**.** ए**.** सं**. 9797 (**भावेश पाबरी बनाम। निर्णय अधिकारी**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**.)**

2014 का सी**.** ए**.** सं**. 9798 (**मेसर्स।श्री राधे बनाम। निर्णय अधिकारी**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**.)**

2014 का सी**.** ए**.** सं**. 9799 (**हेमंत सेठ बनाम। निर्णय अधिकारी**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**.)**

जी.

15. ये अपीलें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई द्वारा पारित 10 सितंबर, 2013 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न होती हैं।

3 (1972) 2 एससीसी 890 4 (2008) 8 एससीसी 648

एच.

910

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 18 एस सी आर।

("अपीलीय न्यायाधिकरण "संक्षेप में), श्री भावेश पाबरी, मैसर्स श्री राधे और श्री हेमंत सेठ द्वारा दायर अपीलों पर, जिसमें 30 दिसंबर, 2011 के तीन अलग-अलग आदेश शामिल हैं, जिन्हें न्यायनिर्णायक अधिकारी ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-I के तहत पारित किया था।

16. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश अधिनियम की धारा 15-एच. ए. के तहत अपीलार्थियों पर लगाए गए प्रत्येक दंड की पुष्टि करता है, जैसा कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विनियमन (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 (संक्षेप में "पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम") के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।17. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा देखे गए और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गैर-परिवर्तनीय के रूप में स्वीकार किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

बी.

सी.

(i) भावेश पाबरी ने अपने नाम से और मैसर्स श्री राधे के एकमात्र मालिक के रूप में, हेमंत सेठ और एक नीरज सांघवी ने मैसर्स गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती गुलशन शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड) के शेयरों में समकालिक/संरचित और उलट व्यापार किया था। (संक्षेप में "जी. पी. एल".) 10 अप्रैल, 2006 से 8 सितंबर, 2006 तक।

डी.

((ii) भावेश पाबरी/मेसर्स के बीच संबंध/सहयोग।श्री राधे, हेमंत सेठ और एक नीरज संघवी की स्थापना की गई थी और वे विवादित नहीं थे।हेमंत सेठ और भावेश पाबरी/मेसर्स।श्री राधे के पास "अपने ग्राहक को जानें" प्रलेखन में एक सामान्य परिचयकर्ता था।(iii) जी. पी. एल. के शेयर रुपये में खुले। 12 जनवरी, 2006 को 44.75 रुपये के उच्चतम स्तर को छू गया। 103.40 30 अगस्त, 2006 को बंद हुआ। 31.70 29 दिसंबर, 2006 को।1 दिसंबर, 2005 से 11 जनवरी, 2006 की अवधि के दौरान शेयरों का शेयर मूल्य रु। 31.50 से रु। 8, 255 शेयरों की औसत दैनिक मात्रा के साथ 49.90।

ई.

एफ.

(iv) नीरज सांघवी के साथ तीन अपीलार्थियों ने 10 अप्रैल, 2006 से 8 सितंबर, 2006 की अवधि के दौरान जी. पी. एल. के 18,48,081 शेयरों में एक-दूसरे के साथ कारोबार किया था, जो इस अवधि में कुल कारोबार की मात्रा का लगभग 16.29% था।

जी.

एच.

911

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

ए.

(v) कुल शेयरों का लगभग 45 प्रतिशत, यानी 8,34,453 शेयरों को संरचित आदेशों के माध्यम से निष्पादित किया गया था, यानी, एक मिनट के अंतराल के भीतर रखे गए खरीद और बिक्री आदेश।इनमें से 5,97,835 शेयरों में व्यापार (कारोबार किए गए कुल शेयरों का 32 प्रतिशत) समक्रमित आदेशों के माध्यम से होता था क्योंकि खरीद और बिक्री आदेश की दर और मात्रा समान थी।

बी.

(vi) 10 अप्रैल, 2006 से 8 सितंबर, 2006 के बीच 64 व्यापारिक तिथियों पर, 15,18,204 शेयरों में एक रिवर्स ट्रेडिंग पैटर्न का समर्थन किया गया था, जो कुल बाजार मूल्य का 13.38% था और उपरोक्त अवधि में बाजार की मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक था।

सी.

(vii) 10 अप्रैल, 2006 से 8 सितंबर, 2006 की अवधि के बीच 24 दिनों में, जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच जी. पी. एल. स्क्रिप में कारोबार की गई मात्रा बाजार की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक थी।

(viii) 1 अगस्त, 2006 को जुड़े हुए लेन-देन बाजार की मात्रा के 83.79% थे।

डी.

(ix) भावेश पाबरी ने 60,203 जी. पी. एल. शेयरों (18 अप्रैल, 2006 से 25 अगस्त, 2006 तक कुल कारोबार की मात्रा का 5.1 प्रतिशत) में स्व-व्यापार किया था।

ई.

(x) भावेश पाबरी ने 18 अप्रैल, 2006 से 25 अगस्त, 2006 की अवधि के दौरान मेसर्स श्री राधे और हेमंत सेठ के साथ 7,73,810 शेयरों के लिए रिवर्सल ट्रेड किए थे, जो कुल कारोबार की मात्रा का 66 प्रतिशत था।

(xi) भावेश पाबरी ने 18 अप्रैल, 2006 से 25 अगस्त, 2006 की अवधि में 1,22,324 शेयरों में 96 खरीद-फरोख्त किए थे, जो मूल्य और समय के आधार पर समन्वित पाए गए थे और 1,43,170 शेयरों में 69 खरीद-फरोख्त अपने एकल स्वामित्व मेसर्स श्री राधे के साथ मूल्य, समय और मात्रा के आधार पर समन्वित किए गए थे।

एफ.

(xii) भावेश पाबरी ने 18 अप्रैल, 2006 से 25 अगस्त, 2006 की अवधि के दौरान 2,16,578 शेयरों में 282 बिक्री सौदे किए थे, जिन्हें मूल्य और समय के आधार पर समन्वित किया गया था, और 32 ने 43,626 शेयरों के लिए बिक्री सौदे किए थे, जो मूल्य, समय और मात्रा के आधार पर मेसर्स श्री राधे के साथ समन्वित पाए गए थे।

जी.

एच.

(xiii) भावेश पाबरी ने 18 अप्रैल, 2006 से 25 अगस्त, 2006 की अवधि में हेमंत सेठ के साथ मूल्य, समय और मात्रा के आधार पर समन्वित 55,915 शेयरों के लिए 28 खरीद सौदे किए थे और 39,350 शेयरों के लिए 21 खरीद सौदे किए थे।

(xiv) भावेश पाबरी ने 18 अप्रैल, 2006 से 25 अगस्त, 2006 की अवधि में 41,500 शेयरों के लिए 22 बिक्री सौदे किए थे, जिन्हें मूल्य और समय के आधार पर समन्वित किया गया था और 16 40,422 शेयरों के लिए बिक्री सौदे किए थे, जिन्हें मूल्य, समय और मात्रा के आधार पर हेमंत सेठ के साथ समन्वित किया गया था।

बी.

(xv) इसी तरह, नीरज सांघवी के साथ 13 खरीद-बिक्री के सौदे हुए।

सी.

18. भावेश पाबरी और मेसर्स श्री राधे की ओर से पेश विद्वान वकीलों का एकमात्र तर्क यह है कि भावेश पाबरी और मेसर्स श्री राधे पर अलग-अलग 1,00,000 (केवल बीस लाख रुपये) का जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था, जिसके वे एकमात्र मालिक थे।

डी.

19. यह विवाद सतही रूप से आकर्षक लगता है, लेकिन गहराई से विचार करने पर इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि भावेश पाबरी इसके व्यक्तिगत नाम पर व्यापार करते थे और साथ ही मैसर्स श्री राधे के एकमात्र मालिक भी थे।यह आपस में जुड़े व्यक्तियों के साथ लेन-देन और लेन-देन से स्पष्ट है।इस प्रकार, भावेश पाबरी ने दो अलग-अलग क्षमताओं में लेन-देन किया था, अर्थात, अपने व्यक्तिगत नाम पर और मेसर्स श्री राधे के एकमात्र मालिक के रूप में। यह इस पृष्ठभूमि में है कि पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 4 (2) (ए), (बी) और (जी) के उल्लंघन के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-एच. ए. के तहत कुल आई. डी. 1 लाख (केवल चालीस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि लेनदेन दो अलग-अलग नामों में थे, हालांकि वे एक ही व्यक्ति के थे।

ई.

एफ.

20. तदनुसार, मेसर्स श्री राधे द्वारा वरीयता प्राप्त सी. ए. <आई. डी. 1 और भावेश पाबरी द्वारा वरीयता प्राप्त सी. ए. <आई. डी. 2 में कोई योग्यता नहीं है और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए और अधिनियम की धारा 15-एच. ए. के तहत प्रत्येक पर लगाए गए Rs.20,00,000/- (केवल बीस लाख रुपये) के जुर्माने की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया जाता है। हेमंत सेठ की सी. ए. नं. 9799/2014 भी असफल होनी चाहिए।दिए गए तथ्यों में, हम तीनों अपीलार्थियों के प्रति अनुग्रह और नरमी दिखाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि पाए गए तथ्य अत्यधिक अपमानजनक और निंदनीय हैं।

जी.

एच.

913

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

ए.

2013 का सी**.** ए**.** सं**. 11311 (**ए**.** ओ**.,** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। भावेश पाबरी**)**

2014 का सी**.** ए**.** सं**. 1824 (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। एम**/**एस।श्री राधे**)**

21. एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11-सी (3) और 11-सी (5) का उल्लंघन करने के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए (ए) के तहत भावेश पाबरी और मैसर्स श्री राधे पर लगाए गए प्रत्येक आई. डी. 1,00,000 (केवल दस लाख रुपये) के जुर्माने को हटाने वाले 10 सितंबर, 2013 के अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होकर प्रति अपील दायर की है।

बी.

22. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश के प्रासंगिक भाग में कहा गया है:

सी.

“2012 की अपील संख्या 71 और 2012 की 72 में अतिरिक्त चुनौती, SEBI अधिनियम की धारा 11C (3) और 11C (5) का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक अपीलार्थी पर Rs.10 लाख का जुर्माना लगाने से संबंधित है। अपीलार्थियों की शिकायत है कि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण थी अर्थात भावेश पाबरी (2012 की अपील संख्या 71 में अपीलार्थी) की दादी, जो मैसर्स श्री राधे (2012 की अपील संख्या 72 में अपीलार्थी) की मालिक हैं, प्रासंगिक अवधि के दौरान समाप्त हो गई थी और इसलिए, वह भौतिक समय पर विचलित मन में था।हालांकि, दिया गया स्पष्टीकरण वर्तमान मामले के तथ्यों में विश्वास पैदा नहीं करता है, जहां एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 20 लाख पहले ही बरकरार रखे जा चुके हैं, हमारी राय में, 5 लाख रुपये के जुर्माने को हटाना उचित और उचित होगा। दोनों अपीलार्थियों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया।

डी.

ई.

23. एस. ई. बी. आई. का यह कहना कि आक्षेपित आदेश में उक्त जुर्माने को हटाने का कोई कारण दर्ज नहीं है, यह देखने के बावजूद कि भावेश पाबरी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से विश्वास पैदा नहीं हुआ है, एक न्यायसंगत और निष्पक्ष आलोचना और एक अच्छी चुनौती होगी।विशेष रूप से अधिनियम की धारा 15-ए (ए) और धारा 15-जे की भाषा के आलोक में, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बताए गए आधार पर या दिए गए तर्क की कमी पर हमें स्पष्ट रूप से आपत्ति है। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, भावेश पाबरी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने 28 सितंबर, 2009 के अपने जवाब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें कहा गया था कि भावेश पाबरी की दादी की मृत्यु हो गई थी और इसलिए, उन्होंने पेश होने के लिए समय का

अनुरोध किया था।बार में कहा गया कि भावेश पाबरी की दादी का 19 सितंबर, 2009 को निधन हो गया था और इस पहलू पर प्रकाश डाला गया और अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके अलावा, भावेश

एफ.

जी.

एच.

914

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 18 एस सी आर।

पाबरी/मेसर्स श्री राधे ने 2 नवंबर, 2009 के पत्र के माध्यम से आंशिक जानकारी प्रस्तुत की थी।अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इन पहलुओं और स्पष्टीकरणों पर विचार नहीं किया गया है।

24. न्यायनिर्णायक अधिकारी ने जुर्माना लगाते समय 6 मई, 2009 के उस पत्र का उल्लेख किया था जिसके द्वारा भावेश पाबरी और मेसर्स श्री राधे को जी. पी. एल. स्क्रिप में व्यापार, जी. पी. एल., इसके प्रवर्तकों/निदेशकों के साथ संबंध/संबंध, हेमंत सेठ के बीच संबंध/संबंध आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, लेकिन उक्त नोटिस का पालन नहीं किया गया था।इसके बाद, 21 जुलाई, 2009 और 14 अगस्त, 2009 के अनुस्मारक जारी किए गए, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं हुआ।इसके बाद 4 सितंबर, 2009,23 सितंबर, 2009,20 अक्टूबर, 2009 और 5 नवंबर, 2009 को समन भेजा गया।

बी.

सी.

25. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, हमें मामले को नए सिरे से निर्णय और जांच के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को भेजना चाहिए था, लेकिन समय अंतराल, लगाए गए जुर्माने की मात्रा को देखते हुए ऐसा करने से बचना चाहिए, और जैसा कि हमने SEBI अधिनियम की धारा 15-एचए के तहत अपीलार्थी पर लगाए गए कुल जुर्माने, 00,000/- (केवल चालीस लाख रुपये) को बरकरार रखा है। बल्कि हम कार्यवाही को बंद कर देंगे।तदनुसार, 2013 की सी. ए. No.11311 और 2014 की सी. ए. No.1824 द्वारा की गई अपीलों का भी निपटारा किया जाता है।

डी.

सी**.** ए**. No.14728/2015 (**अंकुर चतुर्वेदी बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**);**

ई.

सी**.** ए**. No.14729/2019 (**जय किशोर चतुर्वेदी बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**);** और

सी**.** ए**. No.14730/2015 (**सिद्धार्थ चतुर्वेदी बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**);** और

एफ.

26. उपरोक्त शीर्षक वाले अपीलकर्ता मेसर्स बृज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के प्रवर्तक-सह-निदेशक हैं। लिमिटेड, एक कंपनी जिसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

27. यह स्वीकार किया जाता है और स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थियों अंकुर चतुर्वेदी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और जय किशोर चतुर्वेदी ने मेसर्स बृज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के शेयर खरीदे थे। लिमिटेड की क्रमशः 2,3 और 6 अवसरों पर आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार की परिवीक्षा) विनियम, 1992 (संक्षेप में "पी. आई. टी. विनियम") के विनियम 13 (5) सहपठित विनियम 13 (4) और 13 (4 ए) द्वारा निर्धारित और वैधानिक रूप से अनिवार्य स्टॉक एक्सचेंज को आवश्यक प्रकटीकरण करने में विफल रहा था।

जी.

एच.

915

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

ए.

28. उक्त उल्लंघनों के लिए, अंकुर चतुर्वेदी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के मामले में रु. 5,00,000- (केवल पाँच लाख रुपये) और जय किशोर चतुर्वेदी के मामले में रु. Rs.11,00,000/- (केवल ग्यारह लाख रुपये) का जुर्माना SEBI अधिनियम की धारा 15-A (b) के तहत लगाया गया। अंकुर चतुर्वेदी पर भी एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-एच. बी. के तहत ₹1- (केवल दो लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उन्होंने 29 जनवरी, 2013 को 45,000 शेयर हासिल करने के बाद 45,032 शेयर बेचे थे, जो पी. आई. टी. विनियमों की अनुसूची I, भाग ए में निर्धारित सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आदर्श आचार संहिता के खंड 4.2 का उल्लंघन था।

बी.

29. अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में उपरोक्त जुर्माने की पुष्टि की गई, इस तर्क को खारिज करते हुए कि इस तरह लगाया गया जुर्माना कठोर था और पर्याप्त कमी का हकदार था क्योंकि अपीलार्थियों की ओर से खरीद या बिक्री को दबाने का कोई इरादा नहीं था या कि गैर-प्रकटीकरण से अपीलार्थियों को लाभ नहीं हुआ था या अन्यथा निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ था और खुलासा करने में विफलता दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना एक अनजाने में हुई त्रुटि थी।

सी.

डी.

30. अपीलीय न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए कहा है कि पी. आई. टी. विनियमों में निर्धारित अधिकतम जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए रु. 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) था, जिसके दौरान विफलता जारी रही या रु. 1,00,00,000/- (केवल एक करोड़ रुपये), जो भी कम हो।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड को कम करने वाले कारकों को ध्यान में रखा गया और इसे अत्यधिक कठोर या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

ई.

31. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क को देखते हुए, हम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश द्वारा पुष्टि किए गए दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार और कारण नहीं पाते हैं।

एफ.

सी**.** ए**. No.33/2017 (**अक्षत टंडन और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**);** और

सी**.** ए**. No.9563/2018, (**बद्री विशाल टंडन बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)**।

जी.

32. हमने इन दोनों अपीलों पर संयुक्त रूप से विचार किया है क्योंकि वे दोनों मैसर्स भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड (संक्षेप में "द टारगेट कंपनी") के शेयरों से संबंधित हैं।

एच.

33. पहली अपील में, अक्षत टंडन और 14 अन्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 5 अक्टूबर, 2016 के आदेश से व्यथित हैं, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 (संक्षेप में "एसएएसटी विनियम") के विनियम संख्या 3 (3) और 3 (4) के 15 उल्लंघनों में से प्रत्येक के लिए न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित 31 जुलाई, 2014 के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को बरकरार रखा गया था।

बी.

34. अपीलार्थियों लक्षित कंपनी के प्रवर्तक थे और लक्षित कंपनी के भुगतान किए गए शेयरों का 54 प्रतिशत उनके पास था, जिन्हें विभिन्न तिथियों पर अधिग्रहित किया गया था।यह अधिग्रहण एसएएसटी विनियमों के विनियम 3 (3) और 3 (4) के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक था। विनियम 3 (3) और 3 (4) के संदर्भ में निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारियों को सूचित/रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता स्वीकार की जाती है।अपीलार्थियों का मामला आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह दावा किया जाता है कि लगाए गए दंड की मात्रा अत्यधिक और अनुचित रूप से कठोर है।इसी तरह की दलीलें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष इस दलील के साथ उठाई गईं कि लक्षित कंपनी को भारी नुकसान हुआ था और यह एक बीमार कंपनी थी।इसके अलावा, अपीलार्थियों के लिए असमान लाभ या अनुचित लाभ या अन्यथा निवेशकों के लिए नुकसान का अभाव था।दलीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लगाया गया जुर्माना उचित था और कठोर नहीं था।मात्रा को उचित ठहराने के लिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए (ए) और (बी) का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) हो सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहा और प्रत्येक उल्लंघन के लिए रु. 1,00,00,000/- (केवल एक करोड़ रुपये) तक हो सकता है।

सी.

डी.

ई.

35. यह न्यायालय, एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जेड के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, लगाए गए जुर्माने की आनुपातिकता और मात्रा में नहीं जा सकता है, जब तक कि यह उल्लंघन की प्रकृति के लिए स्पष्ट रूप से असमान नहीं है जो इसे आक्रामक, अत्याचारी या असहनीय बनाता है।प्रावधान की प्रकृति से दंड दंडात्मक है।हम केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब मात्रा पूरी तरह से मनमाना और कठोर हो जिसे कोई भी उचित व्यक्ति प्रदान नहीं करेगा।तत्काल मामले में, तथ्यात्मक निष्कर्षों से इनकार नहीं किया जाता है और इस प्रकार, हम दंड की मात्रा के साथ हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है और इस प्रकार इसे बरकरार रखा गया है।

एफ.

जी.

36. अपीलार्थियों ने यह भी तर्क दिया है कि किसी भी निर्धारित सीमा अवधि के अभाव में, एस. ई. बी. आई. को कारण दर्शाओ नोटिस ए. जारी करना चाहिए था।

एच.

917

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

उचित समय के भीतर और 2014 में कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने में लगभग 8 साल की देरी होने के कारण, कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए था।यह तर्क न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों या प्रस्तुत उत्तर में नहीं उठाया गया था।यह स्पष्ट नहीं है कि इस तर्क पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष बहस की गई थी या नहीं।ऐसे निर्णय हैं जो मानते हैं कि जब सीमा की अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए।उचित समय क्या होगा, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चूक/क़ानून की प्रकृति, पूर्वाग्रह के कारण, क्या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे, आदि पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में कारण दर्शाओ नोटिस में विशेष रूप से चूक की संबंधित तिथियों और अनुपालन की तारीख का उल्लेख किया गया था, जो 30 अगस्त, 2011 से 29 नवंबर, 2011 (देरी 927 दिनों से 1897 दिनों के बीच थी) के बीच की गई थी।अनुपालन किए जाने पर ही चूक के बारे में पता चला था।उपरोक्त पृष्ठभूमि में, और इसलिए लगाए गए जुर्माने/दंड की मात्रा को देखते हुए, हम हस्तक्षेप करने के लिए अच्छा आधार और कारण नहीं पाते हैं।

बी.

सी.

डी.

37. अब दूसरी अपील पर आते हुए, बद्री विशाल टंडन ने अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 20 जून, 2018 को पारित आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा 29 दिसंबर, 2017 को पारित आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके तहत उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 1,50,000-(केवल एक लाख पचास हजार रुपये) एसएएसटी विनियमों के विनियम 7 (2) सहपठित विनियम 7 (1 ए) के उल्लंघन के लिए।राम मोहनदास टंडन (एच. यू. एफ.) के कर्ता के रूप में अपीलार्थी को अधिमानी आवंटन के माध्यम से लक्षित कंपनी के 22,50,000 शेयर आवंटित किए गए थे, जो इसकी कुल शेयर पूंजी का 6.46% था।निदेशक मंडल द्वारा 25 जून, 2011 के पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी के अनुसार शेयरों का आवंटन

किया गया था।आवंटन का पत्र उन्हें 27 जून, 2011 को प्राप्त हुआ था और टारगेट कंपनी के 22,50,000 शेयरों को 12 अगस्त, 2011 को उनके डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ई.

एफ.

38. अपीलीय न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक निष्कर्षों की पुष्टि की है कि प्रकटीकरण में देरी हुई थी, जिसे एसएएसटी विनियमों के विनियम 7 (1 ए) और 7 (2) के अनुसार शेयरों के आवंटन की सूचना प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक था।उक्त अधिग्रहण के बारे में टारगेट कंपनी से सूचना/पत्र बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को केवल 11 जुलाई, 2011 को प्राप्त हुआ था।

जी.

39. बद्री विशाल टंडन पर अधिकतम जुर्माना रु. 1,00,00,000/- (केवल एक करोड़ रुपये) था।इस पृष्ठभूमि में, हम नहीं करते

एच.

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जेड के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में लगाए गए रुपये. 1,50,000-(केवल एक लाख पचास हजार रुपये) के जुर्माने की मात्रा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण खोजें।

सी**.** ए**. No.1009/2017 (**मैगनम इक्विटी ब्रोकिंग लिमिटेड। बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)**।

बी.

40. अपीलार्थी ने 18 जुलाई, 2014 के न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश पर हमला किया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायाधिकरण ने 28 नवंबर, 2016 के आदेश के माध्यम से की थी, जिसमें स्टॉक ब्रोकरों के लिए आचार संहिता के खंड ए (2) के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।उक्त जुर्माना 1 जनवरी, 2009 से 31 अगस्त, 2009 की अवधि के दौरान मेसर्स आरे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (संक्षेप में

"एडीपीएल") और मेसर्स विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (संक्षेप में "डब्ल्यूटीआईएल") के शेयरों में व्यापार की जांच के अनुसार लगाया गया था।

सी.

41. संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी एक स्टॉक ब्रोकर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का सदस्य था।अपीलार्थी ने अपने ग्राहकों-श्री रोनक चोस्की, श्री शैलेश पटेल, सुश्री नीताबेन पटेल और सुश्री कपिलाबेन पटेल की ओर से स्टॉक ब्रोकर के साथ-साथ पार्टी स्टॉक ब्रोकर के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त शेयरों में समक्रमित लेनदेन किए थे।डब्ल्यू. टी. आई. एल. के शेयरों में सिंफोनाइज्ड व्यापार की कुल मात्रा 68,02,131 शेयर थी, जिन्हें एक दिन में निष्पादित किया गया था।ए. डी. पी. एल. के शेयरों के मामले में 88,89,052 शेयरों की कुल मात्रा का लेनदेन पांच दिनों की अवधि में किया गया था।अपीलीय आदेश संक्षिप्त रूप से ऐसे लेन-देन के आंकड़ों और विवरणों को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए, 19 फरवरी, 2009 को, अपीलार्थी के ग्राहकों ने डब्ल्यू. टी. आई. एल. के शेयरों में 18 लेन-देन किए थे, जो उस तारीख को कारोबार किए गए शेयरों की कुल संख्या का 68 प्रतिशत और उस तारीख को निष्पादित लेन-देन का 38 प्रतिशत था।18 सिंक्रोनाइज़्ड ट्रेडों में से 7 के लिए, खरीद और बिक्री ऑर्डर कीमत और मात्रा में पूरी तरह से मेल खा रहे थे।इसी तरह, 20 मार्च, 2009 को ए. डी. पी. एल. के शेयरों में 73 समक्रमित सौदे हुए, जो कारोबार किए गए शेयरों के 43.8% और निष्पादित कारोबारों के 63.4% के बराबर थे।अपीलीय आदेश में कहा गया है कि इस तरह के समन्वित व्यापार एक कृत्रिम मात्रा पैदा करते हैं, जिससे स्क्रिप के व्यापार में तेजी आती है और मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे संभावित निवेशक गुमराह होते हैं।इस तरह के लेन-देन स्क्रिप में व्यापार की मात्रा के रूप में एक भ्रामक उपस्थिति पैदा करते हैं जिसे एक व्यवहार्य निवेश अवसर के रूप में समझा जा सकता है जब ऐसा नहीं होता है।यह प्रतिभूति बाजार की पवित्रता को चोट पहुंचाता है और नुकसान पहुंचाता है।विशेष रूप से इस तथ्य का संदर्भ दिया गया था कि विभिन्न तिथियों पर समक्रमित व्यापार ए था

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

919

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

यह राशि 25 मार्च, 2009,23 मार्च, 2009,26 मार्च, 2009 और 27 मार्च, 2009 को कुल बाजार मात्रा का क्रमशः 3.4 प्रतिशत, 7.17%, 20.4% और 15.12 प्रतिशत थी।

42. अपीलार्थी लेन-देन/लेन-देन का विरोध नहीं करता है।अपीलार्थी का मामला यह है कि लेन-देन सामान्य मूल्य सीमा के भीतर निष्पादित किए गए थे और इससे कृत्रिम मूल्य में उतार-चढ़ाव नहीं हुआ।रिलायंस को 14 सितंबर, 1999 के एस. ई. बी. आई. के परिपत्र पर रखा गया था कि एक ही दलाल के दो ग्राहकों के बीच निष्पादित क्रॉस सौदे स्टॉक एक्सचेंज के स्क्रीन तंत्र के माध्यम से किए जा सकते हैं।प्रस्तुतिकरण यह था कि समक्रमित व्यापार किसी अवैध योजना का परिणाम नहीं था।हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दलीलों को खारिज कर दिया था क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा किए गए लेनदेन/लेन-देन परिवार के सदस्यों के बीच थे जो 6 दिनों की अवधि में डब्ल्यू. टी. आई. एल. और ए. डी. पी. एल. के दो शेयरों तक सीमित थे और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को संदर्भित किया था।

बी.

सी.

43. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का संदर्भ

बनाम राखी ट्रेडिंग **(**पी**)** लिमिटेड **5** जो पहले के निर्णय को संदर्भित करता है

डी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम किशोर आर**.** अजमेरा **6**

गलत धारणा के कारण, उक्त निर्णयों में यह नहीं माना गया है कि किसी दलाल के खिलाफ स्टॉक ब्रोकरों के लिए आचार संहिता के खंड ए (2) के उल्लंघन के लिए एस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियम, 1992 (संक्षेप में "स्टॉक ब्रोकर विनियम") के विनियम 7 के उल्लंघन के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है।निर्णयों में कहा गया है कि एक दलाल केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि उसने दलाल की ओर से लापरवाही और मिलीभगत का सुझाव देने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में लेनदेन को सुविधाजनक बनाया था।इस प्रकार, मामला अलग होगा जैसा कि राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में जे. भानुमति के सहमति वाले फैसले में देखा गया है। (सुप्रा), जहां गंभीर और गलत लेन-देन में लिप्त होने के लिए ग्राहक के साथ शेयर दलाल की भागीदारी और मन की बैठक दिखाने के लिए सबूत थे, जिन परिस्थितियों में शेयर दलाल को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जबकि एक अलग मामले में समय की निकटता निर्णायक नहीं हो सकती है, लेकिन दलालों के एक ही समूह/समूह के बीच व्यापार की बड़ी मात्रा किसी दिए गए मामले में मन की पूर्व बैठक के साथ किसी प्रकार के धोखाधड़ी और हेरफेर अभ्यास की ओर इशारा कर सकती है।इसके अलावा, खरीद और बिक्री आदेशों के समन्वय के परिणामस्वरूप सहमति से सौदेबाजी के परिणामस्वरूप थोक मात्राओं और बातचीत किए गए व्यापारों को शामिल करने वाले समक्रमित व्यापार के बीच एक अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप अनुमेय रूप से उनका मिलान होता है।

ई.

एफ.

जी.

5 (2018) 13 एस. सी. सी. 753 (पैरा 40) 6 (2016) 6 एस. सी. सी. 368

एच.

मापदंड जो तदनुसार क्रमादेशित किए जाते हैं।संभावना की प्रधानता का परीक्षण एस. ई. बी. आई. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नागरिक दायित्व के निर्णय और निर्धारण के लिए लागू होता है (राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में पैरा 65 से 69 देखें)।उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-एच. बी. के तहत रु. 3,00,000-(केवल तीन लाख रुपये) का जुर्माना लगाया था, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण ने उल्लंघन के अनुरूप होने के कारण बरकरार रखा है।

बी.

44. उपरोक्त कारणों से, हम समवर्ती निष्कर्षों या लगाए गए दंड की मात्रा के साथ कोई कमजोरी नहीं पाते हैं और इसे बरकरार रखा जाता है।

सी.

सी**.** ए**. No.2641/2017 (**मेसर्स क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड बनाम**.**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)**।

45. वर्तमान अपील में, अपीलार्थी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर है और 22 जुलाई, 2014 के निर्णय आदेश में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 18 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया था, 7 अप्रैल, 2006 से 31 मई, 2006 की अवधि के दौरान मैसर्स गंगोत्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड के शेयरों में समक्रमित व्यापार, परिपत्र व्यापार और उलट व्यापार में शामिल था।तदनुसार, अपीलार्थी ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 ए, (बी), (सी) और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1), 4 (2) (ए), (ई) और (जी) और स्टॉक ब्रोकर विनियमों की अनुसूची II के तहत निर्दिष्ट स्टॉक ब्रोकरों के लिए आचार संहिता के खंड ए (1), (2), (3), (4) और (5) सहपठित विनियम 7 का उल्लंघन किया था।नतीजतन, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी.

एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए धारा 15-एच. ए. के तहत Rs.60,00,000/- (केवल साठ लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया और स्टॉक ब्रोकरों के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-एच. बी. के तहत Rs.15,00,000/- (केवल पंद्रह लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया।

डी.

ई.

एफ.

46. अपीलार्थी ने मेसर्स गंगोत्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड के शेयरों में समक्रमित व्यापार, परिपत्र व्यापार और प्रतिवर्ती व्यापार में लिप्त होने के तथ्यात्मक निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया। उन्होंने यह दावा करते हुए नरमी दिखाई कि उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और कई वर्षों तक उनका वार्षिक कारोबार लगभग रु. 5,00,000-(केवल पांच लाख रुपये) था।अंत में, अंतिम व्यापार मूल्य (एल. टी. पी.) भिन्नता में उनका योगदान नाममात्र था।दलीलों को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलार्थी अन्य संस्थाओं के साथ बड़ी योजना का हिस्सा था जो ए में शामिल थे।

जी.

एच.

921

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]
ए.

समक्रमित, परिपत्र और प्रतिवर्ती व्यापार से कुल संचयी सकारात्मक और नकारात्मक एल. टी. पी. योगदान रु। 999.25 और रु। 1007.25 क्रमशः।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के 15-एच. ए. के तहत लगाया जाने वाला जुर्माना Rs.25,00,00,000-(केवल पच्चीस करोड़ रुपये) या ऐसी प्रथाओं से अर्जित लाभ की राशि का तीन गुना, जो भी अधिक हो, हो सकता है।इस प्रकार, Rs.60,00,000/- (केवल साठ लाख रुपये) का जुर्माना अनुचित और अत्यधिक नहीं था।इसी तरह, स्टॉक ब्रोकरों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक मानकों का पालन करने में विफल रहने के लिए <ID1,00,000/- (केवल पंद्रह लाख रुपये) का जुर्माना, जो कि रु. <ID2,000/- (केवल एक करोड़ रुपये) जितना अधिक हो सकता है, अत्यधिक, अनुचित या कठोर नहीं था।इस नापाक योजना में भाग लेने वाले अन्य लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया था।निष्कर्ष सही और अपरिवर्तनीय हैं।हम दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार और कारण नहीं पाते हैं।

बी.

सी.

सी**.** ए**. No.6160/2018 (**दुर्गा प्रसाद यादव और अन्न बनाम**.**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)**।

डी.

47. दुर्गा प्रसाद यादव और जय हिंद कुमार ने 20 जनवरी, 2016 के निर्णय आदेश के माध्यम से एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11-सी (3) के उल्लंघन के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए (ए) के तहत रु. 1,000 (केवल एक करोड़ रुपये) का जुर्माना झेलते हुए वर्तमान अपील दायर की है, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायाधिकरण ने 15 जनवरी, 2018 के अपने आदेश में की है।

ई.

48. अपीलार्थियों को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11-ए. ए. और एस. ई. बी. आई. (सामूहिक निवेश योजनाएं), विनियम, 1999 (संक्षेप में "सी. आई. एस. विनियम") के तहत मामले की जांच करने के लिए जनता को दी जाने वाली योजनाओं/योजनाओं, जुटाए गए धन, संगठन के ज्ञापन, निदेशकों के विवरण आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।इस उद्देश्य के लिए, 22 नवंबर, 2012,11 जनवरी, 2013,7 नवंबर, 2013 और 20 फरवरी, 2014 को विभिन्न पत्रों को एस. ई. बी. आई. द्वारा दो अपीलार्थी निदेशकों, दो अन्य निदेशकों और मैसर्स स्काइलार्क लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचना/दस्तावेज/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था।चूंकि जानकारी देने और इन पत्रों का जवाब देने में अत्यधिक देरी, चूक और विफलता थी, इसलिए 30 जुलाई, 2014 को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11-सी. (3) के तहत नए समन जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसका फिर से कोई जवाब नहीं दिया गया। नतीजतन, 22 सितंबर, 2014 तक जानकारी देने के लिए 12 सितंबर, 2014 को दूसरा समन जारी किया गया था, जिसका फिर से कोई जवाब नहीं आया।इसके बाद, कारण बताएँ नोटिस

एफ.

जी.

एच.

30 जून, 2015 को जारी किया गया था, जिसका आंशिक जवाब अपीलार्थियों द्वारा 23 सितंबर, 2015 को दिया गया था।एस. ई. बी. आई. द्वारा 30 नवंबर, 2015 को एक ईमेल भी भेजा गया था जिसमें उन्हें 10 दिसंबर, 2015 से पहले जवाब देने के लिए कहा गया था और 15 दिसंबर, 2015 को पेश होने का अवसर दिया गया था।स्पीड पोस्ट एडी के माध्यम से नोटिस अग्रेषित करके भी यह सूचित किया गया था, जिसे दुर्गा प्रसाद के मामले में बिना वितरित किए वापस कर दिया गया था।इस प्रकार, अपीलार्थियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई अवसर दिए गए।इसके बाद 15 दिसंबर, 2015 को अपीलार्थियों के अधिकृत प्रतिनिधि सुबोध कुमार गुप्ता और अन्य उपस्थित हुए और 22 दिसंबर, 2015 के लिए स्थगन की मांग की, जिस तारीख को जवाब दाखिल किया गया था।इसके बाद, 30 दिसंबर, 2015 को एक अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत किया गया।उपरोक्त उत्तरों में अपीलार्थियोंओं ने कहा था कि उनके कार्यालयों को सील कर दिया गया था और इसलिए, आवश्यक विवरण और जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी।इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. ने उन्हें शिकायत की प्रति, हलफनामा, उनके खिलाफ साक्ष्य और जांच रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए थे।

बी.

सी.

49. अब हम मामले की पृष्ठभूमि और नोटिस/समन क्यों जारी किए गए, इसका उल्लेख करेंगे। उपरोक्त नोटिस और समन वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स स्काइलार्क लैंड डेवलपर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न कंपनियों के खिलाफ उच्च रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी योजनाओं में हजारों निवेशकों को धोखा देने के लिए जनहित याचिका में पारित आदेशों के अनुसार जारी किए गए थे।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, एस. ई. बी. आई. सहित विभिन्न प्राधिकरणों को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई थी।केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, एस. ई. बी. आई. ने उपरोक्त कंपनी, दो अपीलार्थियों और दो अन्य निदेशकों को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11-सी के कथित उल्लंघन के लिए दस्तावेजों की जानकारी प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया था।

डी.

ई.

एफ.

50. एस. ई. बी. आई. द्वारा सुनवाई के दौरान, अपीलार्थियों द्वारा दिए गए अधिकांश विवरण सामान्य प्रकृति के थे।हम देखेंगे कि यदि विभिन्न योजनाओं/व्यवस्थाओं के तहत जनता से धन जुटाने से संबंधित कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, तो इसे स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता था।इसके अलावा, यह तर्क कि कार्यालयों को सील कर दिया गया था, जिससे वे जानकारी देने में असमर्थ हो गए थे, दो अच्छे कारणों से खारिज कर दिया गया है।सबसे पहले, इस स्थिति को

विलंबित किया जाता है और इसे एक विचार के बाद माना जाता है जब इसे पहली बार में उठाया जा सकता था जब 5 दिसंबर, 2012 को जवाब दिया गया था, यह देखते हुए कि ए

जी.

एच.

923

भारत का न्यायिक अधिकारी, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी [संजीव खन्ना, जे.]

पुलिस द्वारा 5 मई, 2011 को अभिलेख जब्त किए गए थे।दूसरा, दावा उनके अपने आचरण से विरोधाभासी था जब कार्यवाही के दौरान उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जो अधूरे थे और वांछित नहीं थे।उन्होंने अपने पास मौजूद दस्तावेजों और पुलिस के पास मौजूद दस्तावेजों के बारे में कोई अंतर नहीं किया।अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन परिस्थितियों में इस निष्कर्ष की पुष्टि की थी कि उपरोक्त नोटिसों/पत्रों/समन/ईमेल का पालन करने में सद्भावना की कमी और विफलता थी।इसलिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी ने सही दर्ज किया था कि समन का पालन न करने से आगे की जांच में बाधा आई थी।असफलता बिना किसी औचित्य के थी।उक्त निष्कर्षों से सहमति जताते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि विवरण को उन निवेशकों के नुकसान के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा की जा रही जांच में देरी करने की दृष्टि से रोका गया था, जिनसे अपीलार्थियों द्वारा सी. आई. एस. विनियमों का उल्लंघन करते हुए धन एकत्र किया गया था।

बी.

सी.

51. हम दिए गए तर्क में कोई गलती नहीं पाते हैं।हमारी राय है कि गलती स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के साथ झूठ है और इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए (ए) के तहत धारा 11-सी (3) के उल्लंघन के लिए रु. 1,000/- (केवल एक करोड़ रुपये) का जुर्माना किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

डी.

52. 14 मार्च, 2016 के आदेश के माध्यम से दिए गए संदर्भ और उपरोक्त शीर्षक वाली दीवानी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ई.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों का निपटारा किया गया।

एफ.

जी.

एच.